केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के नेतृत्व में प्रत्यर्पण प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण

<u>प्रत्यर्पण को लेकर भारत का पहले का अप्रोच</u>

- **पहले प्रत्यर्पण प्रक्रिया** को लेकर **भारत का अप्रोच → रिऐक्टिव रहा है**
- **सबसे बड़ी समस्या थी→ प्रत्यर्पण को लेकर पोलिटिकल विल का 'वैक्यूम'**
- **दुर्भाग्यवश, इस देश ने एक ऐसा समय भी देखा है कि भगौड़े अपराधियों को पकड़ना तो दूर जिनके कारण हजारों मासूम भारतीयों की जान गई**
  - **उनको रातों रात देश से निकलने में सहायता की गई (भोपाल गैस कांड)**
- **प्रत्यर्पण के कानून कालबाह्य हो गए थे → केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियाँ थी**
- **आर्थिक भगौड़ों को पकड़ने**, उनकी **संपत्ति जब्त करने** के लिए **कोई पृथक कानून नहीं था**
- **प्रत्यर्पण का 'ट्रैक रिकॉर्ड' बहुत खराब था**
  - **वर्ष 2004 से 2013** के बीच → **एक वर्ष में औसतन केवल 4 भगौड़ों का प्रत्यर्पण** होता था, **जबकि 110 अनुरोध लंबित थे**
- **अधूरे दस्तावेज** और **धीमी कार्यवाही** के कारण प्रत्यर्पण प्रक्रिया बहुत जटिल थी
- **विदेशी कोर्ट प्रत्यर्पण की अनुमति नहीं देते थे**
- **कानूनी एवं न्यायिक बाधाएँ**, जैसे
  - **दोहरे अभियोजन से बचाव** (double jeopardy) और **दोहरे अपराध का सिद्धांत** (dual criminality) के कारण **भारत के अनुरोध रद्द किए जाते थे**
- **मंत्रालय और विभागों** में **समन्वय और एकीकृत रणनीति का अभाव** था,
  - भगोड़ों की **इन्फार्मेशन शेयरिंग, लोकेशन ट्रैकिंग, "रेड कॉर्नर नोटिस" जारी करने जैसे कार्य धीमी गति से चलते थे।**

<u>मोदी जी के नेतृत्व में 2018 के बाद प्रत्यर्पण प्रक्रिया में सुधार</u>

- **प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रायोरिटी के साथ वर्ष 2018** में **भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू** किया, जिससे भगोड़ों पर सख्ती अपनाई गयी और साथ ही उन्हें वापस लाने का मार्ग प्रसश्त
- **फिर गृह मंत्री श्री अमित शाह जी** ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में **भगौड़ों के प्रत्यर्पण को 'नैशनल प्रायोरिटी' बनाया**

माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के समय के योगदान और बदलाव

- **2019 से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत ने भगोड़ों के खिलाफ एक इंटीग्रेटेड, इंटेलिजेंस-लेड और टेक्नोलॉजी-ड्रिवन मॉडल तैयार किया है**
- **माननीय प्रधानमंत्री जी के विज़न** को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भगोड़ों के खिलाफ तीन स्तंभों पर जोर दिया:
  - **ग्लोबल ऑपरेशन, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन, स्मार्ट डिप्लोमेसी**

- **पॉलिसी रिफॉर्म**, **स्ट्रक्चरल तंत्र में** सुधार और **नवीनतम तकनीक** द्वारा
  - **व्होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच** और **अंतर-विभागीय समन्वय स्थापित किया**
- गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि भगोड़े अपराधियों का मुद्दा देश की संप्रभुता, आर्थिक स्थिरता, लॉ-एंड-ऑर्डर और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।
  - **NIA संशोधन अधिनियम 2019 में लाया गया।**
  - **UAPA संशोधन अधिनियम 2019 में लाया गया।**
    - **इससे कार्रवाई केवल संगठनों तक सीमित नहीं रही।**
    - **व्यक्तिगत आतंकी, हैंडलर्स, फंडिंग नेटवर्क और विदेशों में बैठे सपोर्ट सिस्टम तक कार्रवाई का दायरा बढ़ा।**
- **2020 के बाद भगोड़ों** को **भारत वापस लाने की प्रक्रिया** को **मिशन मोड** में आगे बढ़ाया गया।
- **2022 में भारत ने 90$^{वीं}$ इंटरपोल जनरल असेंबली की मेजबानी** की।
  - जिसमें गृह मंत्री जी ने वैश्विक पुलिसिंग में **"कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन"** का संदेश दिया।
- **वर्ष 2023 में 3 नए न्यायिक कानूनों**': **माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी** के **नेतृत्व** में **माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी** ने **160 वर्ष पुराने कलोनीयल कानूनों** को **बदलकर** → **'3 नए न्यायिक कानूनों'** को **अपनाया ये 21$^{वीं}$ सदी का सबसे बड़ा रिफॉर्म है**
  - इसमें **कई समयोचित बदलाव** किए गए, जैसे
    - **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के **खंड 355 और 356** में **पहली बार**
      - **'ट्रायल इन ऐब्सेन्शिया'** का **प्रावधान** भी लाया गया,
    - **जिससे भगौड़े अपराधियों की अनुपस्थिति** में भी
      - **'ट्रायल से लेकर कन्विक्शन'** तक → **सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी**

<u>नए क़ानून में प्रावधान</u>:

- **यदि किसी मामले** में **पहले से दर्ज साक्ष्य या गवाहों के बयान उपलब्ध** हैं
  - तो उन्हें **भगोड़े अभियुक्त के विरुद्ध चल रहे मुकदमे में प्रयोग किया जा सकता है**
- **यदि अभियोजन पक्ष ने कुछ गवाहों के बयान → अभियुक्त के फरार होने से पहले दर्ज कर लिए थे → तो वे बयान वैध बने रहते हैं**
- **BNSS** में **पूरी कार्यवाही (विशेषकर गवाहों के बयान)** को यथासंभव **वीडियो रिकॉर्डिंग द्वारा दर्ज करने का प्रावधान**
- **धारा 356** में **ऑडियो-वीडियो के माध्यम से गवाहों की गवाही रिकॉर्ड करने का प्रावधान**
- **यदि फरार अभियुक्त की गिरफ़्तारी होती है या वो स्वेच्छा से अदालत में उपस्थित होता है → तो गवाहों से पुनः पूछताछ करने का प्रावधान**
  - **इससे मुकदमे को शुरुआत से दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होगी**
  - **साथ ही अभियुक्त को 'नेचुरल जस्टिस' के तहत अपना पक्ष रखने का अवसर** दिया जाएगा

<u>भारतपोल: भारत और विश्व के बीच इनफार्मेशन शेयरिंग में वृद्धि</u>

- **माननीय गृह मंत्री जी द्वारा भारत और वैश्विक एजेंसियों के बीच समन्वय, संपर्क** और **संवाद बढ़ाने के लिए, जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया**
- **इंटरपोल** के साथ **समन्वय और सूचना साझाकरण** के लिए एक **राष्ट्रीय स्तरीय पोर्टल लांच हुआ**
- **भारतपोल** ने → **CBI, राज्य पुलिस मुख्यालय (ILO) और जिला पुलिस मुख्यालय** को एकीकृत करके **एक व्यापक इन्फार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित किया**
- **1,400 से अधिक राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के यूनिट ऑफिस** पोर्टल से जोड़कर
  - **सूचना का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित कर रहे हैं**
- **इसके कारण, CBI और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों** के बीच
  - **इन्फार्मेशन शेयरिंग के रिस्पॉन्स टाइम में भारी कमी आई है**
- आज **CBI द्वारा मांगी गई जानकारी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा**
  - **10 से 20 दिनों** में **और कुछ मामलों** में **मात्र 3 से 10 दिनों** में **साझा कर दी जाती है**

- **माननीय गृह मंत्री जी ने इस दिशा में कुल 5 महत्वपूर्ण बैठकें की हैं**
- **मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (PMLA) को सख्ती से लागू किया** गया
- **वित्तीय वर्ष 2019 से 2026-27 तक:**
  - **कुल जब्ती (Confiscation): ₹17,874 करोड़**
  - **कुल प्रत्यावर्तन (Restitution): ₹18,762 करोड़**
    - **इनमें से ₹18,762 करोड़ की वापसी उन मामलों में हुई है जिनमें फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, अर्थात ऐसे आर्थिक अपराधी जो भारत छोड़कर भाग गए थे, शामिल थे।**
- **CBI ने अंतरराष्ट्रीय स्तर** पर भगोड़ों को पकड़ने के लिए **विशेष ग्लोबल ऑपरेशन्स सेंटर स्थापित**
  - **यह केंद्र इंटरपोल** के माध्यम से **दुनिया भर की पुलिस से रियल-टाइम समन्वय**।
- **सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान** हेतु हर **राज्य व केंद्रीय जांच एजेंसी** में **CBI ने इंटरपोल सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किए**
- **साथ ही, इंटरपोल द्वारा 'रेड नोटिस' प्रकाशन में वृद्धि सुनिश्चित हुई है**
  - **वर्ष 2022** में → **40**, **वर्ष 2023** में → **100**, **वर्ष 2024** में → **107**, **वर्ष 2025** में → **112**, और **2026 (अभी तक)** में → **182 रेड कार्नर नोटिस प्रकाशित हुए**
- **पिछले 3 वर्षों में 401 भगोड़े अपराधियों के विरुद्ध रेड कार्नर नोटिस प्रकाशित हुए**

अपराध श्रेणी	2026	2025	2024	कुल
धोखाधड़ी / फ्रॉड / वित्तीय अपराध	57	26	32	**115**
आतंकी गतिविधि / राष्ट्र-विरोधी गतिविधि / नार्को-टेरर	12	11	19	**42**
संगठित अपराध / गैंगस्टर / एक्सटॉर्शन	15	11	10	**36**
हत्या / डकैती / हिंसक अपराध	42	30	18	**90**
यौन अपराध / रेप / POCSO / सेक्शुअल ऑफेंस	6	1	7	**14**
नार्कोटिक्स / NDPS / ड्रग ट्रैफिकिंग	24	18	10	**52**
स्मगलिंग / फेक करेंसी / साइबर / कंट्राबैंड	2	2	1	**5**
मानव तस्करी / किडनैपिंग	2	2	1	**5**
अन्य	22	11	9	**42**
कुल	**182**	**112**	**107**	**401**

- **पिछले 5 वर्षों में 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया गया** (वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक)**।**

- **वर्षवार वापस लाए गए भगोड़े**

अपराध श्रेणी	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (जुलाई तक)	कुल
धोखाधड़ी / वित्तीय अपराध	-	-	-	01	-	04	03	01	09
आतंकवादी गतिविधियाँ / राष्ट्र-विरोधी गतिविधियाँ / नार्को-आतंकवाद	-	-	01	04	02	04	05	01	17
संगठित अपराध / गैंगस्टर / रंगदारी	01	01	-	04	03	05	14	14	42
हत्या / डकैती / हिंसक अपराध	06	06	03	11	07	11	09	09	62
यौन अपराध / दुष्कर्म / पॉक्सो (POCSO)	02	-	04	13	04	15	13	02	53
मादक पदार्थ / एनडीपीएस / ड्रग तस्करी	-	-	02	01	-	01	07	05	16
तस्करी / जाली मुद्रा / साइबर	-	-	04	02	-	02	02	02	1

अपराध श्रेणी	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (जुलाई तक)	कुल
अपराध / प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी									2
मानव तस्करी / अपहरण	-	-	01	01	04	01	08	03	18
अन्य	-	-	08	03	17	00	09	08	45
कुल	**09**	**07**	**23**	**40**	**37**	**43**	**70**	**45**	**274**

- **'<u>ऑपरेशन त्रिशूल'→</u> भगोड़ों की जियो-लोकेशन ट्रैक करने के लिए चलाया**
  - **इंटरपोल के सहयोग** से **छिपे हुए अपराधियों** की **सैटेलाइट, सर्विलांस, डिजिटल फुटप्रिंट** के **आधार पर लोकेशन स्थापित की गई**
  - **भगोड़ों द्वारा विदेश में नाम या पहचान बदल ली थी**, फिर **भी तकनीक और प्रोफाइल-मैपिंग** के ज़रिये **उन्हें खोज निकाला गया**
  - **प्रत्यर्पण प्रक्रिया तेज करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई** जैसी **तकनीकों का भी** उपयोग हुआ
- **माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में प्रत्यर्पण अनुरोधों** को **अधिक पेशेवर और मानक प्रारूप** में **तैयार करना शुरू किया गया →**
  - हर देश की **दस्तावेज आवश्यकताओं** और **कानूनी अपेक्षाओं** को ध्यान में रखकर **लिखित आश्वासन** दिए गए ।

- **कम-से-कम 36 देशों/जूरिस्डिक्शन्स से भगोड़ों को वापस लाया गया और लगभग 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने उन्हें रिसीव किया।**
- वापस लाए गए भगोड़ों में **टेररिस्ट, गैंगस्टर, फाइनेंशियल ऑफेंडर्स, नार्कोटिक्स आरोपी, मर्डर, रेप और पॉक्सो मामलों के वांछित** शामिल हैं।
- यह अभियान टेररिज्म, प्रो-खालिस्तान एक्स्ट्रीमिज्म, गैंगस्टर-टेरर कन्वर्जेंस, नार्कोटिक्स, साइबर फ्रॉड और फेक करेंसी तक फैला है।
- **तहव्वुर हुसैन राणा** का अमेरिका से एक्स्ट्राडिशन भारत के संकल्प और जटिल टेरर मामलों में धैर्यपूर्ण **लीगल-डिप्लोमैटिक** प्रयास का बड़ा उदाहरण है।
- जम्मू-कश्मीर से जुड़े मामलों में विदेशों में बैठे भगोड़ों का उपयोग टेरर, नार्को-टेरर और क्रॉस-बॉर्डर सपोर्ट नेटवर्क को चलाने में हो रहा था।
- **मोहम्मद अरशद, मोहम्मद रफी नाजर, इम्तियाज खांडू** और **फारूक नाइकू** जैसे मामलों ने जेएंडके टेरर नेटवर्क के बाहरी सपोर्ट सिस्टम पर सीधा प्रहार किया।
- **PFI से जुड़े भगोड़ों की वापसी** ने फंडिंग, रेडिकलाइजेशन और विदेशों में बने सेफ हेवन के इकोसिस्टम को डिसरप्ट किया।
- अब्दुल रहमान, मोहम्मद सज्जाद आलम, कोदजे मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद गौस नयाजी जैसे मामलों ने एक्स्ट्रीमिस्ट नेटवर्क्स पर दबाव बढ़ाया।
- **प्रो-खालिस्तान, गैंगस्टर-टेरर** और **ऑर्गनाइज्ड क्राइम** के **ओवरलैप** पर कार्रवाई भारत की **फ्यूजिटिव स्ट्रेटेजी** की बड़ी उपलब्धि है।
- राजबीर सिंह, परमिंदर सिंह पिंडी, बलजीत सिंह और रमनजीत सिंह जैसे मामलों ने विदेशों से भारत में हिंसा को सपोर्ट करने वाले नेटवर्क को कमजोर किया।
- गैंगस्टर मामलों में अनमोल बिश्नोई, अमन भैंसवाल, अक्षय बिश्नोई, अंकित बिश्नोई, सचिन बिश्नोई और विक्रम बराड़ की वापसी से डिटरेंस मजबूत हुआ।
- इन मामलों ने स्पष्ट किया कि विदेशी लोकेशन भारत के भीतर हिंसा चलाने का कमांड सेंटर नहीं बन सकती।

- **नार्कोटिक्स** और **नार्को-टेरर** मामलों में **लॉ-एन्फोर्समेंट, इंटेलिजेंस** और **डिप्लोमेसी** का संयुक्त उपयोग प्रभावी सिद्ध हुआ।
- सलीम डोला, शेख निसार अहमद, ताहेर सलीम डोला, नवीन चीचकर और लिजो जोस जैसे मामलों ने ड्रग ट्रैफिकिंग को ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी चैलेंज के रूप में स्थापित किया।
- नेपाल से जुड़े मामलों ने ओपन-बॉर्डर, क्रॉस-बॉर्डर क्राइम और पड़ोसी देशों के साथ ऑपरेशनल ट्रस्ट की अहमियत दिखाई।
- नेपाल से ऑपरेट कर रहे साइबर क्रिमिनल नेटवर्क में 19 गिरफ्तारियाँ और 15 डिपोर्टेशन इंटेलिजेंस-लेड कोऑर्डिनेशन की बड़ी सफलता है।
- फेक करेंसी, मनी म्यूल्स, रॉबरी, नार्कोटिक्स, मर्डर और गैंगस्टर मामलों में नेपाल-आधारित कोऑर्डिनेशन उपयोगी रहा।
- इकोनॉमिक ऑफेंसेज और फ्रॉड मामलों में अक्षित खंडेलवाल, हर्षित जैन, मोनिका कपूर, अंगद सिंह और सुभाष परब की वापसी ने रणनीति का दायरा बढ़ाया।
- आर्थिक अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली देरी, दूरी और लीगल कॉम्प्लेक्सिटी को अब प्रभावी कोऑर्डिनेशन से कमजोर किया जा रहा है।
- गंभीर अपराधों में त्वरित वापसी, जैसे लूथरा ब्रदर्स और शाहुल हमीद के मामले, जनता और पीड़ित परिवारों के विश्वास को मजबूत करते हैं।
- रेप, पॉक्सो और गंभीर अपराधों के आरोपियों की वापसी ने एलओसी और इंटरपोल चैनल्स की उपयोगिता को साबित किया।
- यूएई, नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, अमेरिका, यूके, जर्मनी, कतर, बहरीन, ओमान और अन्य देशों के साथ सहयोग महत्वपूर्ण रहा।
- **सफलता का आधार केवल संयोग नहीं, बल्कि विश्वसनीयता, लीगल तैयारी, डिप्लोमैटिक पर्सिस्टेंस और सतत फॉलो-अप है।**
- **डोमेस्टिक कोऑर्डिनेशन में IB, CBI, रॉ, NIA, ED, MEA, NCB, DGGI और राज्य पुलिस की साझा भूमिका रही।**
  - यह मॉडल **"Whole of Government"** को दर्शाता है, जहाँ केंद्र और राज्य एजेंसियाँ मिलकर पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाती हैं।

- जनवरी 2026 में IB के **मल्टी एजेंसी सेंटर** (MAC) के तहत स्टैंडिंग फोकस ग्रुप का गठन महत्वपूर्ण संस्थागत कदम है।
  - यह ग्रुप फ्यूजिटिव प्रायोरिटी, डॉसियर स्टैंडर्डाइजेशन, सूचना गैप हटाने, विदेशी पार्टनर्स से फॉलो-अप और राज्य मामलों को राष्ट्रीय समर्थन देता है।
  - विदेशों में बैठे भगोड़े निष्क्रिय केस-फाइल्स नहीं, बल्कि लाइव ऑपरेशनल थ्रेट्स हैं।
- **हर सफल वापसी जनता का विश्वास बढ़ाती है, पीड़ितों को सहारा देती है, प्रॉसिक्यूशन को मजबूत करती है और नेटवर्क्स का मनोबल तोड़ती है।**
- **मूल संदेश स्पष्ट है ➔ भारत धैर्य, प्रोफेशनलिज्म और दृढ़ संकल्प के साथ सीमाओं के पार जाकर भी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करेगा।**